

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक



वाद सं०- MP8 / 20.19

धारा-107 द०प्र०सं०

वीरा देवी

बनाम

मन्जोरि महता

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०-एम.....<u>48</u> / 20.....<u>19</u> में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>सोनारानु</u> के अप्राथमिकी सं०-<u>13/19</u> दिनांक-<u>03-07-19</u> के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>धरम विवाह का लेक उभय पक्ष के तनाव है</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>02/08/19</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
03 <sup>02</sup> / <sub>2020</sub>	<p>आमलिया उपस्थापित । समय पत्र उपस्थापित । दिनांक पत्र द्वारा आवेदन देकर गवाही हेतु आगामी विधि की मांग की गई । दिनांक 17-02-2020 को रखा ।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	
17 <sup>02</sup> / <sub>2020</sub>	<p>आमलिया उपस्थापित । समय पत्र उपस्थापित । उक्त वाद के 6 (छ) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालबधित हो गया है ।</p> <p>उक्त वाद के आमलिया की कार्रवाई बन्द की जाती है ।</p> <p style="text-align: center;">[Signature]      [Signature]</p> <p>कार्य प्रशासक      कार्य प्रशासक                      अखिल (रांची)      अखिल (रांची)</p>	